निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1935 (श0)

(सं0 पटना 658) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-4/2013/लेज:157—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 11 अगस्त, 2013** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 17, 2013]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना:–चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की समस्त व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाया जाना राज्य के शिक्षण हित में अत्यंत ही आवश्यक है,

और, चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत रेगुलेशनों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।—(1)** यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-2 का संशोधन ।—**बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड-(त) को निम्नलिखित द्वारा अन्त:स्थापित किया जायेगा:-

''(त) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग।''

3. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 का संशोधन ।—**उक्त अधिनियम की धारा-57 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, यथा :-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के पहले शीर्षक सहित नई उप-धारा (1) अन्त:स्थापित की जायेगी, यथा:-

''57. विश्वविद्यालय तथा उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति।

(1) (i) इस अधिनियम और परिनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए आयोग विश्वविद्यालय के शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के संबंध में यथासंभव उन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे राज्य सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा सुपुर्द किये गये है।

(ii) राज्य सरकार की अनुशंसा पर आयोग विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा का आयेाजन कर सकेगा, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा (स्टेट इलिजिविलिटी टेस्ट) कहा जा सकेगा। इस निमित्त आयोग केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हे यू0जी0सी0 के विनियम 2010 में अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित अर्हतायें प्राप्त हो;

परन्तु आयोग ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई विनियम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अध्यधीन संचालित करेगी।

(iii) आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कौंसिल फौर साइन्टिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता/राज्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हो एवं विश्वविद्यालय अनुदान अयोग विनियम 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें अथवा समय-समय पर विहित अर्हताएँ प्राप्त हों;

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यलाय अनुदान आयेग द्वारा एम0फिल/पी0एच0डी0 उपाधि के लिए गठित न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के आधार पर पी0एच0डी0 डिग्री प्रापत कर लिया है, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से उत्तीर्णता प्राप्त करने की छूट होगी।

(iv) विषयवार रिक्तियाँ अगले पंचांग वर्ष की अनुमानित रिक्तियों सहित आरक्षण रोस्टर के साथ प्रत्येक वर्ष की इक्तीसवीं दिसम्बर तक विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भेजी जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकृत तथा संसूचित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसानुसार ही करेगा और शिक्षकों के पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के बिना नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय के शिक्षको के पदों पर नियुक्ति के लिए आश्यकतानुसार की जाने वाली अनुशंसा में आयोग इसमें अंतर्विष्ट शर्त्तो का पालन करेगा।

(vi) खण्ड (iii) के अधीन आवेदित आवेदकों की अन्तर्वीक्षा के आधार पर आयोग विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिये विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा, और ऐसी सूची इसके अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य होगी। विषयवार सूची में रिक्तियों के दोगुणा नाम योग्यता क्रम में रखे जायेंगे, किन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध केवल एक ही नाम नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को एक समय में भेजेगा;

परन्तु, यह कि आयोग मेधा सूची तथा अधिमानक्रम से राज्य में नियुक्तियों में आरक्षण विषयक लागू विधि के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये आरक्षण रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय को नाम अनुशंसित करेगा। इस अधिनियम, परिनियम के उपबंधों में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी बिहार राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति सभी नियुक्तियों पर लागू होगी।

(vii) आयोग की समस्त कार्यवाहियाँ, बैठक का कार्यवृत्त, योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची सहित प्रतिदिन के आधार पर पूरी कर ली जायेगी। योग्यता सूची से संबधित अभिलेख आयोग द्वारा हस्ताक्षरित होंगे तथा संबंधित विषय की योग्यता सूची को उस विषय के अन्तर्वीक्षा की अंतिम तिथि को ही अंतिम रूप दे दी जायेगी।

(viii) आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। नियुक्ति करते समय, विश्वविद्यालय द्वारा खण्ड (vi) के अधीन अयोग की अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर, आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय नियुक्ति करेगी।

(ix) विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति, सेवामुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबधं में आयोग के परामर्श से विहित रीति से कार्रवाई करेगी।

(x) विश्वविद्यालय विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए बोर्ड का गठन यू0जी0सी0 द्वारा समय-समय पर परिचालित विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा संसूचित निदेशों के आलोक में आयोग द्वारा किया जायेगा;

परन्तु नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठकों में संबंधित विषय के कम-से-कम तीन विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे।

(ख) वर्त्तमान खण्ड (i) के पूर्व कोष्ठक और अंक यथा उप-धारा ''(2)'' जोड़ी जायेगी तथा उसमें जहाँ-जहाँ शब्द ''शिक्षक'' आया है को शब्द ''प्रधानाचार्य'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57क का प्रतिस्थापना ।—**उक्त अधिनयिम में धारा-57क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापपित किया जायगा, यथा :-

''57क. परिनियम द्वारा विहित की जाने वाली प्रक्रिया :—(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बने परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सम्बद्ध महाविद्यालयों में, जो राज्य सरकार द्वारा शासित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित नहीं हो, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा ऐसे उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाऐंगे, जो इस अधिनियम की धारा-57(1) का खण्ड (iii) में विहित अर्हता को पूरा करते हों। इस अधिनियम की धारा-57ख में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा चयन की कार्रवाई की जायेगी।

(2) चयन समिति द्वारा उपर्युक्त अर्हता धारित अभ्यर्थियों की अन्तर्वीक्षा के आधार पर की जाने वाली अनुशंसा में आरक्षण विषयक लागू नियमों का पालन किया जायेगा।

(3) चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसाएँ, अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चयन समिति के द्वारा दिये गये अधिमानता क्रम के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी।

(4) सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवामुक्ति, हटाय जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबंध में उपर्युक्त चयन समिति से परामर्श लेकर विहित रीति से कार्रवाई करेगें।

(5) धर्म एवं भाषा के आधार पर सम्बद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शासी निकायों द्वारा विश्वविद्यायल द्वारा गठित चयन समिति के अनुमोदन से शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, बर्खास्त, हटाना अथवा सेवा समाप्त एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकेगा;

परन्तु जहाँ किसी शिक्षक के विरूद्ध मात्र परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक या आरोपों के अन्वेषण तक निलबंन आदेश अन्तर्ग्रस्त हो, तो वैसी स्थिति में चयन समिति का परामर्श आवश्यक नहीं होगा।''

5. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57ख, का प्रतिस्थापन।—**उक्त अधिनियम की धारा-57ख को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा :-

''**57ख चयन समिति का गठन :—** (1) सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य, प्रधानाचार्य के पदो पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय स्तर से निम्नलिखित रूप से किया जायेगा, यथा:-

(i) इस चयन समिति का अध्यक्ष, महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय द्वारा नामित व्यक्ति, जो उनके सदस्यो में होगा- वही चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) महाविद्यालय का प्राधानाचार्य;

(iii) महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय के विभागाध्यक्ष;

(iv) संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से नामित तीन विशेषज्ञ जो प्राचार्य से अन्यून श्रेणी के होंगे, जिनमें से दो व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है, उस स्थिति में महाविद्यालय अध्यक्ष की ओर से तीन नामित व्यक्ति, पाँच व्यक्तियों की नामसूची में से होंगे जो अधिमान्यतः अल्पसंख्यक समुदायों से हों, जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विशेषज्ञों की उस तालिका में से अनुशंसित किया गया गया हो, जिस तालिका को संबंधित विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद् द्वारा प्रस्तावित किया गया हो तथा जिनमें से तीन व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हो;

(v) महाविद्यालय के शासी निकाय के द्वारा ऐसे दो विषय-विशेषज्ञों को नामित किया जा सकेगा जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों, और जिन व्यक्तियों को कुलपति द्वारा, विषय-विशेषज्ञों की उस सूची में से अनुशंसित किया गया हो, जिस सूची को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(vi) विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक /महिलाएँ/पृथक तौर से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का आवेदक रहने एवं उस श्रेणी का सदस्य चयन समिति में उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय, जो उस कोटि का एक अकादमिशियन होगा, को नामित करेगी।

(vii) चयन समिति की बैठक में पाँच सदस्यों, जिनमें से तीन विषय-विशेषज्ञ होंगे, की उपस्थिति से गणपूर्ति (कोरम) होगी।''

6. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-58 का प्रतिस्थापन ।—**उक्त अधिनियम की धारा-58 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

''**58. चयन प्रक्रिया का अनुपालन ।—**इस अधिनियम, परिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा-57(i) एवं 57ख के अधीन गठित चयन समिति इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होगा।''

7. **व्यावृति ।—**अधिनियम की धारा-57क एवं 57ख के प्रतिस्थापन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या समझी जायेगी

और अधिनियम की धारा-57क एवं 57ख के प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

14 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-4/2013/158/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमत **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar State University (Amendment) Act, 2013
[Bihar Act 17, 2013]
AN
ACT
To amend Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976)

Preamble: Whereas, in the interest of the education in the State it is most expedient to make the entire provisions of the appointment to the posts of teachers in the Universities and Colleges of the Bihar State in conformity with the prescribed standards of University Grants Commission;

And, whereas, it is essential to make appointments to the posts of teachers in the Universities of the State by making the provisions of the appointment of teachers in the Bihar State University Act, 1976 in conformity with the provisions laid down in the various regulations issued by the University Grants Commission.

Hence, it is necessary to amend the Act as per the regulations issued by the University Grants Commission.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty fourth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and Commencement.—**This Act may be called The Bihar State University (Amendment) Act, 2013.
(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment in section-2 of Bihar Act, 23, 1976.—**In the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) (hereinafter refered to as the said Act) in section-2 clause (p) shall be inserted by the following; namely:-
"(p) 'Commission' means Bihar Public Service Commission."

3. **Amendment in Section 57 of Bihar Act 23, 1976.—**In the said Act Section-57 shall be amended as follows , namely:-
(a) before the existing clause (i) including heading following new sub section (1) shall be inserted; namely:-
"57 Appointment to the post of teachers in Universities and their constituent Colleges.

(1) (i) Subject to the provision mentioned in this Act and Statutes as far as possible the Commission shall perform the same function in respect of the appointments to the sanctioned posts of the teachers of Universities as are assigned to it by Article 320 of the Constitution of India in relation to the State Service.

(ii) The Commission on the recommendation of the State Government may organise an eligibility test to be called "State Eligibility Test" for appointment to the posts of Teacher (Assistant Professor) in the Universities and Constituent/Affiliated colleges under them. In this behalf, Commission shall invite subjectwise applications only from such candidates who have obtained the qualifications prescribed in the UGC Regulations, 2010 or as may be prescribed by the University Grants Commission from time to time;

Provided that, such test shall be conducted by the Commission in the light of the order issued by the State Government in conformity with the Regulations made by the University Grants Commission.

(iii) Every year the Commission shall invite subject wise applications for appointment to the posts of Teacher (Assistant Professor) in the Universities and their constituent College only from such candidates who have passed the National Eligibility Test Conducted by the University Grants Commission/Council for Scientific and Industrial Research/State Eligibility Test and obtained minimum qualifications prescribed by the University Grants Commission Regulations, 2010 or as may be prescribed from time to time;

Provided that, the candidates who have obtained Ph.D. Degree on the basis of Minimum Standard and Procedure Regulation, 2009 framed by the University Grants Commission for M.Phil/Ph.D Degree, shall be exempted from passing the National Eligibility Test.

(iv) The subject wise vacancies including the presumed vacancies of the next calendar year alongwith the Reservation roster shall be forwarded to the Commission by the Universities upto thirty first December every year.

(v) The University shall make appointments to the posts of Teacher, duly sanctioned and communicated by the State Government, only on the recommendation of the Commission and no appointment to the post of teachers shall be made by the University without the recommendation of the Commission. Commission shall comply with the conditions laid down in this Section for making recommendations for appointment to the posts of teachers of the University according to their need.

(vi) The commission shall prepare a subjectwise merit list against the vacancies communicated by the University on the basis of the interview from among the candidates applied for under clause (iii). The subject wise list shall contain the names of the candidate in order of merit double in number of the vacancies, however the commission shall forward only one name at a time to the University for appointment against vacancy;

Provided that, the commission shall recommend the names to the University in order of merit and on the basis of reservation roster sent by the University in conformity with the laws applicable to reservation in appointments in the State. Notwithstanding anything contrary to provision of this Act, Statute, the reservation policy prevalent in the Bihar State shall be applicable to all the appointments.

(vii) All the proceeding of the Commission shall be completed on daily-basis itself, which includes minutes of the meeting, the list of the candidates on the basis of merit. The records pertaining to the merit list shall be signed by the commission and the merit list of subject concerned shall be finalized on the last day of the interview of that subject.

(viii) The merit list prepared by the Commission shall be valid for one year from the date of its issue. On receipt of the recommendations of the Commission under

clause (vi) the University shall make appointments per the recommendations of the commission within six months from the date of its receipt.

(ix) In respect of appointment, dismissal, removal, termination of service or demotion of teacher of the University and Constituent College, the University shall take action in consultation with the Commission in prescribed manner.

(x) The Board for selection of candidates for appointments to the posts of teachers of the University Departments and constituent Colleges shall be constituted by the commission in view of the directions communicated by the State Government in conformity with the provisions prescribed in the regulations and circulated by the U.G.C. from time to time;

Provided that at least three experts of the subjects concerned shall attend the meeting of Board organised for making recommendations for appointment.

(b) Before existing clause (i) bracket and number as sub-section "(2)" shall be added and the word "teachers" wherever occurred in this sub-section shall be substituted by the word "Principal".

4. **Substitution of Section 57 A of the Bihar Act 23, 1976.—**In the said Act section 57 A shall be substituted by the following, namely:-

"57 A-Procedure of selection to be prescribed by the statute- (1) Subject to the provisions of this Act and Statutes made thereunder, for appointment of teachers in such affiliated Colleges, which are not governed by the State Government or not funded by the Universities, the applications from the candidate fulfilling the qualifications prescribed under clause (iii) of subsection (1) of section 57 of this Act shall be invited by the Governing Body of the College concerned. The selection shall be processed by the Selection Committee constituted by the University under the provisions contained in section 57B of this Act.

(2) In making recommendations on the basis of interview of the candidates holding the above mentioned qualifications the rules or reservation shall be adhered by the Selection Committee.

(3) The recommendation made by the Selection Committee shall remain valid for one year from the date of the recommendation. Within six months from the date of recommendation of the Selection Committee; the College administration shall process the appointment/promotion in order of preference laid down by the Selection Committee.

(4) With regard to the appointment, promotion, dismissal, discharge, removal from service and termination of service or demotion of teachers in affiliated Colleges, the action shall be taken in the manner prescribed after making consultation with the above mentioned Selection Committee.

(5) The appointments, promotions, dismissal, removal and termination of service of teachers in the minority colleges affiliated on the basis of religion and language may be made and disciplinary action against them shall be taken by the governing body of those colleges with with the approval of the Selection Committee constituted by the University;

Provided that, where the order concerned is limited to only ensure, withholding increment, against a teacher or his/her suspension till the investigation of charges, in such cases the consultation with the Selection Committee shall not be necessary.

5. **Substitution of Section 57 B of the Bihar Act 23, 1976.—**In the said Act Section 57 B shall be substituted by the following: namely:-

"57 B. Constitution of Selection Committee.

(1) The Selection Committee for appointment to the posts of Assistant Professor, Principal in affiliated colleges shall be constituted by the University as follows:-

(i) The Chairman of the governing body of the college or the person nominated by the governing body, who being one of its members, shall be the Chairman of the Selection Committee.

(ii) Principal of the College.

(iii) Head of the department of the faculty concerned in the College.

(iv) Three experts, not below the rank of professor and two out of them should be experts of the subject, shall be nominated by the Vice-chancellor of the concerned University. In case of such colleges, which have been notified/declared as minority educational institution, three persons nominated on behalf of the Chairman of the College who shall be from the list of five persons preferably from the minority community and who have been recommended by the Vice-Chancellor of the University concerned from the panel of experts proposed by the Academic Council of the University concerned and three persons out of them should be subject experts.

(v) The Governing body of the College may nominate two such subject experts who are not connected with that college and those persons have been recommended by the Vice-Chancellor out of the panel of Subject Experts approved by the Academic Council of the University Concerned.

(vi) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories it the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

(vii) presence of five members of the Selection Committee, which shall include three subject experts, shall form the quorum for the meeting or the Selection Committee.

6. **Amendment in Section 58 of the Bihar Act 23, 1976**:—In the said Act Section-58 shall be substituted by the following; namely:-

"58. Implementation of Selection Procedure:- Notwithstanding any thing contained in any provisions of this Act, Statute or any other laws for the time being in force, the Selection Committee constituted under section 57(i) and 57B shall be bound to follow the procedure under this Act."

7. **Saving-**Notwithstanding the substitution of section 57A and 57 B of this Act, anything done or decision or action taken prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be question on the ground or the substitution or deletion of Section 57A and 57 B.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 658-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in